राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

श्रावण 07, बुधवार, शाके 1948- जुलाई 29, 2026
Sravana 07, Wednesday, Saka 1948- July 29, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ), राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र - 7

(धारा-11 भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत)

नियम 16 के उपनियम-(1) देखें

प्रारम्भिक अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 20, 2026

Rajkaj ref 22804274 :-भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए नवली गेट नोखा स्थित रेलवे समपार संख्या एलसी 27 पर प्रगतिरत आर ओ बी के निर्माण किये जाने के लिए ग्राम नोखा मे कुल 0.0175 हैक्टेयर भूमि अवाप्त हेतू अपेक्षित हैं।

समाजिक समाघात निर्धारण र्इकार्इ द्वारा राजस्थान भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार नियम 2016 विहित है प्रक्रिया अनुसार समाजिक समाघात निर्धारण की रिर्पोट प्रस्तुत की गर्इ जिसमे सामाजिक समाघात निर्धारण र्इकार्इ का सारांष निम्नानुसार हैं।

भूमि अर्जन स्वरूप कोर्इ भी परिवार विस्थापित नही हो रहा हैं। पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन के उदेष्य से उपखण्ड अधिकारी नोखा को प्रषासक नियुक्त किया जाता है।

अत: उपरोक्त परियोजना के लिए बीकानेर जिले की नोखा तहसील के राजस्व ग्राम नोखा मे उक्त परियोजना के लिए 0.0175 हैक्टेयर भूमि अधिसूचित की जाती हैं।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का विवरण निम्नलिखित हैं।

क्र.स	खसरा न.	राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भु स्वामी का नाम	नगरपालिका पट्टाधारक का नाम	गाँव का नाम	निजी व सरकारी	भूमि की किस्म	प्रभावित क्षेत्रफल (मिट)	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्ट)	अन्य सीमाय				संरचनाए
									उ.	द.	पु	प.	

			नगरपालिका पट्ृाधारक का नाम						अन्य सीमाय				
1	1	नगरपालिका नोखा	सीता देवी पत्नि श्रीयालाल, बसन्ती देवी,जुगलकिशोर ,राजेन्द्र प्रसाद, सरोजदेवी ,जेठमल पिसरान स्व. श्री श्रीयालाल	नोखा	निजी	गे-मु आबादी	25.096	0.0025	अन्य गांव की सीमा	101/1	176	2,3	तीन मंजील मिष्ठान भण्डार
2	1	नगरपालिका नोखा	राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल	नोखा	निजी	गे-मु आबादी	25.096	0.0025	अन्य गांव की सीमा	101/1	176	2,3	दुकान वह टिनसेड

3	1	नगरपालिका नोखा	......	नोखा	सरकारी	गे-मु आबादी	7.668	0.0007	अन्य गांव की सीमा	101/1	176	2,3	मिनीबस स्टेंड का भवन
4	1	नगरपालिका नोखा	......	नोखा	सरकारी	गे-मु आबादी	81.982	0.0081	अन्य गांव की सीमा	101/1	176	2,3	डाक घर भवन
5	1	नगरपालिका नोखा	......	नोखा	सरकारी	गे-मु आबादी	31.789	0.0031	अन्य गांव की सीमा	101/1	176	2,3	---
6	1	नगरपालिका नोखा	....	नोखा	सरकारी	गे-मु आबादी	6.692	0.0006	अन्य गांव की सीमा	101/1	176	2,3	---
				नोखा		कुल	178.323	0.0175					

यह अधिसूचना इसमे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गर्इ हैं। भूमि से संबंधित रेखांकन भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा, जिला-बीकानेर एवं अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड नोखा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं। सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा, जिला-बीकानेर और उसके कर्मचारिवृंद, अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड नोखा को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदार्इ करने या वेधन करने और आपके कार्य के उचित निश्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हैं। अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोर्इ भी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोखा के पूर्व अनुमोदन के

बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से भूमि का कोर्इ भी संव्यवहार नही करेगा या कोर्इ भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोर्इ भी विल्लंगम सृजित नही करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे मे भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा, जिला-बीकानेर के समक्ष आक्षेप, यदि कोर्इ हो, प्रस्तुत किए जा सकेगें।

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।